


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1) लालमनी कुमारी; 2.) सुबंती कुमारी; दोनों के पिता- श्री सुखदेव उराँव 3.) जसीन्ता कुमारी पिता- श्री शिवदेव उराँव; 4.) छतीश उराँव पिता- श्री शिवदेव उराँव ; ग्राम: चमातु , थाना: बालुमाथ जिला :लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 अधिनियम के तहत ग्राम:- राहम, थाना सं. 56 (रेयती भूमि) खाता सं. -54, के अधीन प्लॉट सं. - 2346, 2364, 2374, 2416, 2417, 2418, 2420, 2362, 2433; खाता सं. -55, के अधीन प्लॉट सं. -2372, 2419, 2431; कुल रकबा: - 8.00 एकड़ (रेयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विनोद

  
29/07/2023

Sr. Mx (Min)